न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :—55/15

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

बाबूलाल पुत्र कैशू जाति भील निवासी भदवासिया जिला जोधपुर।

..........प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. श्री मोहरसिंह लेघा अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

रिमाण्ड वादपत्र अन्तर्गत धारा 175, 177 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णय:— दिनांक :—

यह वादपत्र माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 24.12.14 में पारित आदेश पर इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 55/15 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई प्रारम्भ की गई। प्रकरण सं0 10/12 को 26.02.2014 को इस न्यायालय में निर्णित किया गया था तथा प्रतिवादी गण बतौर अपीलांट माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय में अपील दायर की गई, माननीय न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते हुवे इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.02.2014 निरस्त कर दिया है तथा प्रकरण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया है कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देकर, वाद की प्रक्रिया अपनाकर निस्तारण करें। अतः प्रकरण को पुनः दर्ज किया जाकर वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। रिमाण्ड पश्चात न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत मूलवाद, जवाबदावा, प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का पुनः अवलोकन किया गया। जिसका ब्योरा निम्नप्रकार है।

वादी सरकार जरिये तहसीलदार खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत मूल वाद का सार निम्नप्रकार है कि वादी का वाद निम्न आधारों पर प्रस्तुत है कि जिप्सम के अवैध खनन के रोकथाम बाबत अभियान के दौरान अभियान दल ने चक 15 केएचएम मु0नं0 240/10 किला नं0 1, 2, 23 में खातेदार कैशू पुत्र चौथा जाति भील निवास भदवासिया द्वारा अवैध खनन होना पाया गया है। अवैध खनन करने के कारण खातेदार की खातेदारी निरस्त हेतु दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। दावे के साथ पटवारी रिपोर्ट, नक्शा, जमाबंदी संलग्न किये गये है।

रिमाण्ड पश्चात तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 03.03.2020 व साथ संलग्न दस्तावेज शामिल पत्रावली किये गए जिसको प्रदर्श—1 पढ़ा गया जिसका सार निम्नानुसार है कि भू.अ. निरीक्षक दन्तौर व पटवार हल्का पिरणवाली के चक 15 केएचएम के मु0नं0

240 / 10 के किला नं0 1 ता 25 में 24.10 बीघा कमाण्ड भूमि मुताबिक जमाबन्दी अराजीराज दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर किला नं0 1 ता 5 में 5.00 बीघा तारामीरा, 6 ता 14 में 9.00 बीघा में जौ, 17 ता 20 में 4.00 बीघा गेहूँ, 21 ता 24 में 18–18 बिस्वा गेहूँ काश्त है तथा किला नं0 25 में ढ़ाणी में निवास करता है तथा जमाबन्दी में पैन्सिल से आर.ए.ए. बीकानेर का स्थगन का नोट अंकित है।

रिमाण्ड पश्चात प्रतिवादी द्वारा जवाब दिनांक 05.04.22 पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उक्त जवाब का सार निम्नानुसार है कि प्रार्थी (अपीलांट) व रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 7 के पिता केशु पुत्र चोथा के नाम से वाके चक 15 केएचएम के मु0नं0 240 / 10 की कुल 24.10 बीघा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। प्रार्थी व प्रार्थी के सहिस्सेदारान के पिता केशु पुत्र चोथा का निधन 01.01.2003 को हो चुका है। उक्त रकबा के संबंध में हल्का पटवारी की तथ्य की भूल से प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर धारा 175, 177 आरटीएक्ट के तहत अवैध खनन की कार्यवाही खोलते हुए प्रार्थी के पिता केशु पुत्र चोथा के नाम से एक नोटिस श्रीमान न्यायालय द्वारा जारी किया गया था जबकि हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं नोटिस जारी होने से पूर्व ही मूल आवंटी केशु पुत्र चोथा का निधन हो चुका था। मृतक के विरूद्ध नोटिस जारी होने के कारण नोटिस विधि अनुसार तामिल नहीं हो सका और श्रीमान न्यायालय के एकपक्षीय निर्णय द्वारा रकबा को रकबाराज घोषित कर दिया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई जिसमें श्रीमान न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा निर्णय दिनांक 24.12.2014 को श्रीमान न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.02.2014 को निरस्त करते हुए प्रकरण को पुनः सुनवाई बाबत् श्रीमान न्यायालय को रिमाण्ड किया गया है। हल्का पटवारी द्वारा तथ्य की भूलवंश ही पूर्व में मूल आवंटी के नाम से दर्ज रकबा में अवैध खनन दर्शाया गया था जबकि उक्त रकबा चक 15 केएचएम के मु0नं0 240 / 10 में कभी अवैध खनन नहीं किया गया था। इसकी पुष्टि हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट एवं फर्द मौका दिनांक 20.02.2020 को रकबा में फसल काश्त दर्शाते हुए अवैध खनन होना नहीं बताया है तथा मृतक के विरूद्ध की गई कार्यवाही शुरू से ही शून्य थी इसलिए निवेदन किया कि माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.12.2014 में पुनः सुनवाई कर रकबा मृतक केशु पुत्र चोथा के वारिसान प्रार्थी व अप्रार्थी (अपीलांट व रेस्पो. सं0 2 ता 7) के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

न्यायालय हाजा ने दिनांक 05.04.22 को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा पारित अपील सं0 22 / 2014 में पारित फैसले में सुनवाई करते हुवे तहसीलदार रिपोर्ट 1427 दिनांक 28.12.2011 पर गौर किया, इस रिपोर्ट में वर्णित मु0नं0 240 / 10 किला नं0 1,2,23 में अवैध खनन होना पाया गया है के आधार पर बाकी किलों में जांच का कोई औचित्य नहीं के कारण धारा 151 सीपीसी की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे विवादित आराजी चक 15 केएचएम के मु0नं0 240 / 10 किला नं0 3 से 22 और 24,25 के राजस्व रिकॉर्ड में एसडीएम खाजूवाला के फैसले प्रकरण सं0 10 / 2012 दिनांक 26.02.2014 की पालना में दर्ज किए गये इंतकाल से पूर्व की स्थिति बहाल के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को कर दिये है तथा किला नं0 1,2,23 के संबंध में तहसीलदार खाजूवाला को पुनः लिखा गया।

तहसीलदार खाजूवाला से पुनः रिपोर्ट दिनांक 12.04.2022 प्राप्त जो शामिल पत्रावली की गई तथा प्रदर्श–2 पढ़ा गया जिसका सार निम्नानुसार है कि चक 15 केएचएम के मु0नं0 240/10 के किला नं0 1 ता 25 में 24.10 बीघा कमाण्ड भूमि मुताबिक जमाबन्दी अराजीराज दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर किला नं0 25 में ढ़ाणी बना रखी है। उक्त रकबा मौके पर खाली है पूर्व में फसल कर रखी थी व फसल काट ली गई है। मौके पर मेघाराम व बाबूलाल पुत्र केशुराम भील साकिन 15 केएचएम का ढ़ाणी में निवास है तथा जमाबन्दी में पेंसिल से स्थगन आर.ए.ए./बीका/14/798 दिनांक 09.04.14 का नोट अंकन का अंकन है। इसके अलावा जमाबन्दी रिकॉर्ड में किसी न्यायालय का स्थगन का नोट अंकन नहीं है। किला नं0 1,2,23 में किसीप्रकार का अवैध खनन का मौके पर कोई साक्ष्य नहीं है। मौके पर उक्त किला नं0 1,2,23 खाली है। मूलवाद में वादपत्र रिमाण्ड पश्चात जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो कि निम्नानुसार है:–

1. आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे। ...... जिम्मे वादी
2. आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

.... जिम्मे प्रतिवादी

राज पैरोकार के साक्ष्य/सबूत रिपोर्ट व जवाब प्रतिवादी आ जाने तथा तनकी कायम की जाने के बाद उभयपक्ष ने सीधे बहस हेतु निवेदन किया। बहस में वकील प्रतिवादी ने अपने जवाबदावा के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि माननीय राजस्व अपील प्राधिकरण के विस्तृत विवेचन के बाद पूर्व निर्णय निरस्त किया जाकर प्रतिप्रेषित किया गया था। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी ने निम्नानुसार निवेदन किया कि:–

1 मूल आवंटी केशु पुत्र चोथा का निधन उक्त प्रकरण की कार्यवाही शुरु करने से पूर्व ही दिनांक 01.01.2003 को हो गया था। इसलिए मृतक के विरूद्ध की गई कार्यवाही शुरु से ही शून्य थी और मृतक के वारिसान जिसमें प्रार्थी एवं सहिस्सेदारान रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 7 को बिना उचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकपक्षीय निर्णय श्रीमान न्यायालय द्वारा पारित फरमाया गया है।

2 दावे में बताया गया है कि अवैध खनन बाबत् अभियान के दौरान उक्त मुरब्बे में अवैध खनन होता पाया गया था, यदि अवैध खनन होता पाया गया था तो तत्समय अवैध खनन एवं खननकर्ता के खिलाफ क्या कार्यवाई की गई। खनन विभाग और पुलिस विभाग द्वारा की गई कार्यवाई रिपोर्ट दावे के साथ संलग्न नहीं है और ना अवैध खनन के पुख्ता सबूत संबंधी कोई फोटोग्राफ लगाये गये है और ना ही मौका फर्द संलग्न किया है। इससे यह साबित होता है कि तत्समय पटवारी हल्का द्वारा भूलवश

अथवा दुराग्रह ग्रसित होकर उक्त मुरब्बे में अवैध खनन की रिपोर्ट की गई थी जिसके आधार पर तहसीलदार खाजूवाला द्वारा अप्रार्थी विरूद्ध किया गया दावा खारिज योग्य है।

3 तहसीलदार रिपोर्ट पत्रांक/तखा/कोर्ट/2022/269 दिनांक 12.04.2022 से भी स्पष्ट रिपोर्ट की गई है कि चक 15 केएचएम मु0नं0 240/10 के किला नं0 पर किलानं0 25 में ढ़ाणी बना रखी है। उक्त रकबा मौके पर खाली है पूर्व मे फसल काश्त कर रखी थी व फसल काट ली गई है। मौके पर मेघाराम व बाबूलाल पुत्र केशुराम जाति भील निवासी 15 केएचएम का ढाणी में निवास है तथा किला नं0 1 ,2,23 में किसी प्रकार अवैध खनन का मौके पर कोई साक्ष्य नहीं है और मौके पर उक्त किलानं0 1,2,23 खाली है।

4 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा रामप्यारी व अन्य बनाम स्टेट में पारित निर्णय आरआरटी 2021(2) 1292 का हवाला देकर निवेदन किया कि पटवारी हल्का एवं तहसीलदार द्वारा बिना किसी जाँच के जो दावा पेश किया है जो तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 12.04.2022 से साबित होता है। अतः प्रथमतः तो वादी राज पैरोकार को वाद प्रस्तुत करने हेतु हैतुक भी प्राप्त नहीं था और द्वितीय माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के विस्तृत विवेचन व निर्णयानुसार न तो कोई मजबूत साक्ष्य जैसे फोटाग्राफ आदि एवं फर्दमौका पर किसी निष्पक्ष गवाह, साक्षी आदि के हस्ताक्षर है और ना ही राजपैरोकार द्वारा साक्ष्य स्वरूप पेश की गई। अतः मेरा जवाबदावा स्वीकार व बहस स्वीकार कर वाद वादी इसी स्तर पर खारिज फरमाया जाकर पूर्व स्थिति बहाल की जावे। बहस सुनी गई।

माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा इन्ही बातों को लेकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 26.02.2014 को निरस्त किया जा चुका है। पूर्व की कार्यवाही एकपक्षीय रही है, जिसमें वाद के तथ्यों का खण्डन एकपक्षीय होने के कारण निर्णय तकनीकी रूप से सही नहीं था। राज्य पक्ष द्वारा इस अवधि में कोई ऐसे साक्ष्य नये तौर पर नहीं जुटाये है जो उनके वादपत्रों को मजबूती दे सके। राज्य पक्ष द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय को समझते हुए उनके द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की पालना नहीं की है। प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन कब हुआ व किसके द्वारा किया गया एंव अपीलांट से कभी जिप्सम जब्त हुआ अथवा नहीं ? कोई स्वतंत्र साक्ष्य जो यह प्रमाणित करे कि वादगत भूमि से अपीलांट ने ही खनन किया है, पत्रावली पर पेश नहीं कर सका है।

पैरोकार राज को समुचित अवसर दिया कि वह वाद को साबित करने के लिये समुचित साक्ष्य, अभिलेख उपलब्ध करायें। वादी पक्ष को समुचित अवसर देने के बाद भी वादी पक्ष पैरोकार राज ने न तो कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया और न ही किसी तरह का लिखित दस्तावेज पेश किया है। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राज्यपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। राजपैरोकार ने रिमाण्ड पश्चात भी प्रकरण में पुनः राज्य पक्ष की अनमने ढ़ग से पैरवी की है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा , मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार 03.03.2020 व 12.04.2022 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व

बहस उभयपक्ष पर मनन करने पर न्यायालय तनकीवार विवेचन के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हैं कि तनकी संख्या 1 (आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे) का भार जिम्मे वादी था जिसको मजबूत साक्ष्य सबूत दस्तावेज प्रस्तुत कर साबित करने में वादी/राजपैरोकार असफल रहा है क्योंकि प्रस्तुत रिमाण्ड वादपत्र व साक्ष्य स्वरूप रिपोर्ट तहसीलदार 03.03.2020 व 12.04.2022 व वादपत्र प्रस्तुत के वक्त प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट 28.12.11 परस्पर विरोधाभासी है। वही प्रतिवादी ने तनकी संख्या 2 (आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे) जिम्मे प्रतिवादी को साबित करने के पक्ष में पत्रावली में संलग्न प्रदर्श–1,2 साक्ष्य सबूत के तौर पर जिम्मे प्रतिवादी तनकी सं0 2 को साबित करते है।

वादी स्टेट जरिये तहसीलदार, राजस्व खाजूवाला रिमाण्ड वादपत्र के पक्ष में मजबूत साक्ष्य–सबूत दस्तावेज प्रस्तुत करने में व तनकी सं0 1 को साबित करने में असफल रहा है तथा प्रतिवादी के तनकी सं0 2 साबित हो जाने उपरोक्त परिपेक्ष में रिमाण्ड वादपत्र संख्या 55/15 सरकार बनाम बाबूलाल खारिज किया जाता है। न्यायालय हाजा द्वारा पत्रावली की फर्द अहकाम आदेशिका दिनांक 05.04.22 को चक 15 केएचएम के मु0नं0 240/10 के किला नं0 3 ता 22, 24, 25 में फैसले प्रकरण सं0 10/2012 दिनांक 26.02.2014 की पालना में दर्ज किए गये इंतकाल से पूर्व की स्थिति बहाल के आदेश कर दिये गये है तथा इसके अलावा शेष किला नं0 1,2,23 के राजस्व रिकॉर्ड में एसडीएम खाजूवाला के फैसले प्रकरण सं0 10/2012 दिनांक 26.02.2014 की पालना में दर्ज किए गये इंतकाल से पूर्व की स्थिति बहाल के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को किये जाते हैं। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)